भारत गणराज्य के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
तथा
फ्रांस गणराज्य के आर्थिक, वित्त एवं उद्योग मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन

भारत पक्ष का प्रतिनिधित्व भारत गणराज्य के उद्योग राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार तथा फ्रांस गणराज्य के आर्थिक, वित्त और उद्योग मंत्रालय में उद्योग प्रभारी मंत्री श्री फ्रेंकॉइस लूस ने दूसरे पक्ष का प्रतिनिधित्व किया।

इसके पश्चात् उन्हें "पक्ष" कहा जाएगा।

ध्यान में रखते हुए:

- संयुक्त वक्तव्य भारत और फ्रांस की सरकारों द्वारा 20 फरवरी, 2006 को फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति की बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर संवाद आरंभ करने के लिए भारत यात्रा के अवसर पर तैयार किया गया था;
- बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण तथा उन्नयन के पोषण में निकटतम सहयोग के लाभ;

नीचे दिए पर सहमति हुई:

अनुच्छेद 1

दोनों पक्ष बौद्धिक संपदा तथा इसके कार्यान्वयन के क्षेत्र के संभावित क्षेत्रों में जो संवाद बढ़ाने जा रहे हैं उसमें सम्मिलित होगा:

1. बौद्धिक संपदा के प्रशिक्षण में भारत और फ्रांस के बीच अनुभवों का आदान-प्रदान;
2. ऐसे प्रशिक्षणों के लिए उपयुक्त मानदंडों और पाठ्यचर्चा का विकास;
3. दोनों देशों के बौद्धिक संपदा संस्थानों के बीच नियमित तकनीकी आदान-प्रदान के लिए सतत संस्थागत सहयोग का विकास;
4. विकासशील बौद्धिक संपदा डाटाबेस और पेटेंटों, व्यापार चिह्नों, डिजाइनों और भौगोलिक संकेतों सहित स्वचलन बौद्धिक संपदा कार्यालयों में सूचना व बेहतर पद्धतियों का आदान-प्रदान;
5. छात्रों, उद्योगपतियों और सिविल सोसाइटी में बौद्धिक संपदा के विषय में चेतना के प्रसार की बेहतर पद्धतियों का आदान-प्रदान;
6. अधिकार धारकों और उपभोक्ताओं के बीच समस्याओं के समाधान के लिए संस्थागत प्रक्रियाओं की सूचना का आदान-प्रदान;
7. विशेष बौद्धिक संपदा मामलों के संयुक्त अध्ययन;

8. पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण क्षेत्र के अनुभव का आदान-प्रदान;
9. बौद्धिक संपदा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबद्ध संवाद।

अनुच्छेद 2

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ फ्रांस इस ज्ञापन को लागू करने के प्रभारी हैं।

अनुच्छेद 3

ऊपर उल्लिखित कार्यों की योजना अनुच्छेद 2 में उल्लिखित पक्षों के बीच वार्षिक आधार पर बनाई जाएगी और उनसे संबद्ध व्यावहारिक मुद्दों की जांच संयुक्त समिति की बैठक के दौरान की जाएगी।

अनुच्छेद 4

वर्तमान ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से प्रभावी होगा। इसे दोनों में से एक अथवा दूसरे पक्ष द्वारा किसी भी समय पूर्व सूचना पर छह माह के न्यूनतम समय के नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है।

कृते वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

हस्ताक्षरित/-

अश्विनी कुमार
उद्योग राज्य मंत्री

कृते आर्थिक, वित्त और उद्योग मंत्रालय

हस्ताक्षरित/-

फ्रेंकॉइस लूस
प्रभारी उद्योग